

श्रीमान् श्रीमान् (मूलदेव यादव)
श्रीमान् श्रीमान्

जाही की गई।

यह आज दिनांक 19.3.2021 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर
खर्चा पक्षकारान अपना-अपना स्वयं वहन करेंगे।
जाकर सही नाम पम्प पुत्र मोहरसिंह वर्त राजस्व रिकॉर्ड किया जावे।
तहसील मुख्यावर की बादी की आराजगीयात में बादी के गलत नाम झानसिंह को कलमजबन किया
की विनिर्दिष्ट अनुपालना हेतु दावा बादी स्वीकार कर लिका किया जाता है कि बाक नाम शहजादापुरा
हुकम इम्तनाई दवानी अन्तर्गत धारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89 व 188
वाद बादीगण पम्प बनाम राजस्थान सरकार वाद पत्र बावत डिक्लैरेशन व
दवा डिक्लैरेशन व हुकम इम्तनाई दवानी अन्तर्गत धारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89 व 188

दिनांक:- 19/03/2021 लिका :-

परिकार:- सरकार-प्रतिवादी
2.श्री विनोद कुमार शर्मा प्रतिवादी 2,3, व 4
अधिवक्ता :-श्री मनोज कुमार शर्मा-वादी

अन्तर्गत धारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89 व 188
दवा डिक्लैरेशन व हुकम इम्तनाई दवानी

—प्रतिवादी

1:-राजस्थान सरकार जसिंह तहसीलदार मुख्यावर तहसील मुख्यावर जिला भरतपुर

बनाम

—वादी

1. पम्प पुत्र मोहरसिंह जाति जाट निवासी सलैमपुर कला तहसील मुख्यावर जिला भरतपुर

श्रीमान् देव यादव
दापर दिनांक:- 20.02.2020
प्रकरण संख्या:- 07/20
पीठासीन अधिकारी :-

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुख्यावर (भरतपुर)